(10)

टी.एस.पी
संख्या- 3141 / III-2/05-43(प्रा.आ.)/06

प्रेषक,
टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,
मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

देहरादून, दिनांक 22 नवम्बर, 2006

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में टी.एस.पी.योजना के अन्तर्गत 49 (उन्चास) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 49 कार्यों के रूपये 3382.40 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 3301.67 लाख (रूपये तैंतीस करोड़ एक लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम-06 मे अंकित विवरणानुसार कुल रू0 22.90 हजार (रू0 बाईस लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 मे व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दर शिड्यूल आफ रेट मे स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन मे जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय,एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

10. यदि उक्त कार्यों मे से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के [illegible] अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर

सत्यापित छायाप्रति
सहायक अभियन्ता

...क्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक– 31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

12. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

13. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

14. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में समाज कल्याण विभाग के अनुदान सं0–31–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़के–आयोजनागत–796– जनजातिय क्षेत्र उपयोजना–01– नया नर्माण कार्य–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.–1806 /XXVII/(2)/2006 दिनांक 17 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:– 49 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या–3141 (1)/ III–2/06,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन ।
3. आयुक्त गढवाल / कुमांयू मण्डल, पौडी / नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमांयू / गढवाल क्षेत्र, लो.नि.वि., अल्मोडा / पौडी ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन ।
10. गार्ड बुक।

सत्यापित छायाप्रति
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
साहिया (देहरादून)

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

12

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. हमरऊ मोटर मार्ग से गोथान तक मार्ग निर्माण | 2.00 | 32.40 | 32.40 | 0.50 |
| 18. पानुवा, मसराड, बडनू मोटर मार्ग का निर्माण | 12.00 | 194.40 | 194.00 | 0.50 |
| 19. दातनु बडनू मोटर मार्ग पर बराड से सिलाया छानी चिल्हाड धार होते हुए डामटा मोटर मार्ग निर्माण | 4.00 | 64.80 | 64.80 | 0.50 |
| 20. कालसी चकराता मार्ग से कोटी रोड तक 2 किमी0 जंगलात मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा निर्माण | 2.00 | 32.40 | 32.40 | 0.50 |
| 21. डपडोलनी से बडेल चिनगरी डाड की छानी होते हुए गास्वी तक मार्ग निर्माण | 7.00 | 113.40 | 113.40 | 0.50 |
| 22. चुनउ ग्राम के लिए गोई चनाग से सम्पर्क मोटर मार्ग निमाण | 7.00 | 113.40 | 113.40 | 0.50 |
| 23. सबमरजैस मोटर मार्ग से खुन्ना गाव तक सडक निर्माण | 0.50 | 8.10 | 8.10 | 0.20 |
| 24. सबमरजैस मोटर मार्ग से ग्राम खुन्ना–अलमान तक सडक निर्माण | 0.50 | 8.10 | 8.10 | 0.20 |
| 25. सबमरजैस मोटर मार्ग से ग्राम लोहारना तक संपर्क मार्ग | 1.50 | 24.30 | 24.30 | 0.50 |
| 26. सबमरजैस मोटर मार्ग से मुंशी गाव तक संपर्क मार्ग | 2.00 | 32.40 | 32.40 | 0.50 |
| 27. सबमरजैस मोटर मार्ग से ग्राम लोहारी तक संपर्क मार्ग | 2.00 | 32.40 | 32.40 | 0.50 |
| 28. मसूरी–चकराता मोटर मार्ग से ग्राम खाडी तक सडक निर्माण | 1.00 | 16.20 | 16.20 | 0.50 |
| 29. मसूरी चकराता मार्ग से लोहन ग्राम तक मोटर मार्ग | 1.00 | 16.20 | 16.20 | 0.50 |
| 30. मसूरी–चकराता मोटर मार्ग से नागथात बाजार तक सडक निर्माण | 2.00 | 32.40 | 32.40 | 0.50 |
| 31. नागथात लाच्छा मार्ग से दुइना तक सडक का निर्माण | 0.50 | 8.10 | 8.10 | 0.20 |
| 32. सबमरजैस मोटर मार्ग से पिरोई गाव तक सडक निर्माण | 1.00 | 16.20 | 16.20 | 0.50 |
| 33. मसूरी चकराता मार्ग से लखवाड लिंक रोड को एन एच 123 तक | 6.00 | 97.20 | 97.20 | 0.50 |
| 34. जन्देउ–बाडो मोटर मार्ग के पक्कीकरण का कार्य | 4.00 | 56.80 | 56.80 | 0.50 |
| 35. कालसी तहसील के अन्तर्गत लखस्यार से मुयारी छानी तक मोटर मार्ग का निर्माण | 5.00 | 81.00 | 81.00 | 0.50 |
| 36. बरोटावाला अम्बाडी रोड से मेहुवाला खालसा प्रा0 स्कूल मस्जिद जू0हा0 चेतना क्लब होते हुए सिचाई विभाग अम्बाडी के कार्यालय तक मोटर मार्ग निर्माण | 1.80 | [illegible] | [illegible] | 0.50 |
| 37. अस्टाड डकियाराना मगरोली मोटर मार्ग का निर्माण किमी0 15.275 से किमी0 23 तक | 7.725 | 125.15 | 125.15 | 0.50 |
| 38. आरा–अटी ह0वा0 मार्ग (फिडलानी मलेथा मार्ग के किमी0 2 से ) का मोटर मार्ग में परिवर्तन (मा0मु0मं0घो0) | | 63.05 | 50.00 | 0.50 |
| 39. सालवाला–डुंगट (अम्बेडकर ग्राम) हडीवाला–बीलिया मार्ग का सुदृढीकरण / पक्कीकरण | 3.50 | 71.42 | 71.40 | 0.50 |

सत्यापित छायाप्रति
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
साहिया (देहरादून)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40. | सदमरजेंस रोड से चीला ग्राम सभा खुन्ना तक सम्पर्क मार्ग | 0.50 | 8.10 | 8.10 | 0.50 |
| 41. | खटीमा में उमरूखुर्द से मुडिया थारू तक मार्ग एवं आरी.सी.सी. सेतु | 2.600 + 15मी0 | 85.55 | 81.65 | 0.50 |
| 42. | अम्बेडकर ग्राम तोमिक ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन | | 48.05 | 43.55 | 0.50 |
| 43. | मूनस्यारी से डाडाधार–जेतीग्राम तक लिंक मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य | 5.30 | 158.09 | 158.00 | 0.50 |
| 44. | जोशी गोथान ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन | 5.00 | 48.50 | 38.50 | 0.50 |
| 45. | काहा नेहरा पुनाहा ह0वा0 मार्ग का बालनू भेडा से होते हुए सकरोल तक विस्तार | 1.00 | 16.20 | 16.20 | 0.50 |
| 46. | बैसान बैण्ड से ग्राम बैसान तक ह0वा0 मार्ग का किमी0 2 से आगे व्यासी तक मोटर मार्ग में विस्तार का शेष भाग | 0.60 | 22.72 | 22.70 | 0.50 |
| 47. | लखस्यार से मुयाडी छानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण | 5.00 | 81.00 | 81.00 | 0.50 |
| 48. | रखटाड सम्पर्क ह0वा0 मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन | 1.00 | 9.7 | 7.70 | 0.20 |
| 49. | थल पोंखू धरमघर मोटर मार्ग के किमी0 25 से तारायल तक मोटर मार्ग | 5.00 | 115.55 | 89.00 | 0.50 |
| | कुल योग | | 3382.4 | 3301.67 | 22.90 |

(रूपये बाईस लाख नब्बे हजार मात्र)

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

सत्यापित छायाप्रति
सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
साहिया (देहरादून)